assaulted them, when protested to enter the coach;

(b) if so, the details of the case; and

(c) the action Government propose for safety of lady passengers in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) 'Public order' and 'Police' being State subjects, the registration, investigation, detection and prevention of crime, including the crimp in trains, is primarily the duty of the State Governments concerned. Details relating to individual incidents of crime are not maintained centrally. However, the Central Government, on its part, has been sending advisories to the State Governments, besides providing them with financial assistance to strengthen their policing infrastructure.

मेरठ और मुजफ्फरनगर में विदेशी नागरिक

2664. **श्रीमती मालती शर्माः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर जनपद में विदेशी (घुसपैठियों) की संख्या में वृद्वि हुई है;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन घुसपैठियों की संख्या में भविष्य में होने वाली वृद्वि को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार)ः (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सहायता

2665. **श्री रामजीलाः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसी स्वतंत्रता सेनानी का और उसकि पत्नी का निधन हो जाने पर उसेसरकार से मिलने वाली सहायता व सुविधाएं किन-किन सदस्यों को प्रदान की जाती है;

(ख) परिवार के किन-किन सदस्यों को स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित माना जाता है;

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इन आश्रितों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती है;

(घ) सरकार इन आश्रितों को किस आधार पर इस आशय के प्रमाण पत्र जारी करती है कि वे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है; और

(ड) क्या सरकार जीवित स्वतंत्रता सेनानियों या जिनका निधन हो गया है उनके परिवारोम को भाविष्य में और अधिक सहायता और सुविधायें देने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार)ः (क) और (ख) किसी स्वतंत्रता सेनानी और उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर, उनकी अविवाहित / बेरोजगार पुत्रियोआं / स्वतंत्रता सेनानी के माता/पिता, पेंशन और केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य संबंधित सुविधाओं के पात्र होगे। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत विधवा। विधुर, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां, माता/पिता को इसी क्रम से, स्वतंत्रता सेनानी के पात्र माना जाता है।

(ग) ब्यौरे संलग्र विवरण में दिए गए है। (नीचे देखिए)।

(घ) केन्द्र सरकार इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है.

(ड़) इस समय केन्द्र सरकार के विचारधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे

स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरी की मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे निम्र प्रकार हैः-

(क) उनकी विधावओं/परिचारक को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी) की सुविधा।

(ख) केन्द्र सरकार के सब अस्पतालों में और सरकारी उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों में भी मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा भी दी गई है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी की आवंटित सरकारी आवास में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी /पति,

स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद भी एक निर्धारित अवधि तक इस आवास को रखने के पात्र है।

(घ) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिकारों के बिना और मात्र आधे किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

2. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे हर राज्य में अलग-अलग है और केन्द्र सरकार इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग

2666. **श्री अजीत जोगी**:

श्री रामजीलाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान और वर्ष 1997 में अब तक सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आश्रय कितनी बार लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधो के दुरुपयोग के संबंध में शिकायते मिली है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) विभिन्न राज्य सरकरों/ संघ शासिम क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1.1.1996 से 31.11.96 तक जारी किए गए निरूद्वि आदेशों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्र है। (नीचे देखिए।)

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अधिनियम में इसके दुरूपयोग से बचाव के लिए अन्तर्भूत सुरक्षोपाय है क्योंकि प्रत्येक निरुद्वि आदेश की जांच, उच्च न्यायालय के तीन पदासीन/सेवानिवृत न्यायाधीशों वाले एक सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाती है। आगे, निरुद्व व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन भेज सकता है, इस अभ्यावेदन की जांच की जाती है और गुण-दोष के आधार पर इसे निपटाया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन 1.1.96 से 30.11.96 तक जारी किए गए निरुद्वि आदेशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासिम क्षेत्र का नाम	जारी किए गए निरुद्वि आदेशों का योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	
2.	असम	
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	
6.	हिमाचल प्रदेश	
7.	कर्नाटक	
8.	मध्य प्रदेश	88
9.	महाराष्ट्र	354
10.	मणिपुर	45
11.	मेघालय	7
12.	नागालैंड	99
13.	उडीसा	13
14.	पंजाब	
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	15
17.	त्रिपुरा	
18.	उत्तर प्रदेश	425
19.	सिक्किम	
20.	गोवा	
21.	मिजोरम	
22.	अंडमान और निकोबार	
23.	चंडीगढ़	
24.	दिल्ली	
	जोड़	1057